न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 186/2023 GCMS No.–2022/98

ग्राम पंचायत निमेडा पंचायत समिति झोटवाडा, जिला जयपुर राजस्थान जरिये सरपंच।
...निगरानीकर्ता

बनाम

श्री खेमसिंह पुत्र स्व. श्री मोहन सिंह उम्र वयस्क जाति जाट निवासी सी/ओ/1/1 हीराबाग फ्लेट्स, सवाई रामसिंह रोड, जयपुर राजस्थान।
...विपक्षीगण

निगरानी याचिका विरूद्ध फैसला ग्राम पंचायत निमेडा, मिसल /दायर संख्या 44/96–97 दिनांक दायर 15.11.1966 दिनांक फैसला 19.03.1997 पट्टा संख्या 20/96–97 द्वारा अप्रार्थी को सार्वजनिक स्कुल भूमि परिसर का विकय विलेख जारी कर दिया को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री जगदीश सैनी एवं चित्ररेखा गौड निगरानीकार की ओर से।
2. श्री सत्यवीर सिंह मूण्ड गैर निगरानीकार की ओर से

निर्णय दिनांकः 29.05.2024

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत निमेडा, पं.स. झोटवाडा द्वारा गैर निगरानीकार खेमसिंह पुत्र स्व. श्री मोहन सिंह जाति जाट निवासी सी/ओ/1/1 हीराबाग फ्लेट्स सवाई रामसिंह रोड, जयपुर के पक्ष में मिसल संख्या 44/96–97 जिसके तहत आदेश दिनांक 19.03.1997 द्वारा पट्टा संख्या 20 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.09.22 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यवीरसिंह मूण्ड उपस्थित है। मूल पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत निगरानी में शामिल मिसल है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता निगरानीकार निगरानी मीमो ही बहस माने जाने का कथन किया गया एवं अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा निगरानी का जवाब ही बहस माने का जाने कथन किया गया।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम जयभवानीपुरा, तहसील जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 14/83 रकबा 0.1012 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आबादी , खसरा नंबर 0.3035 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आबादी ग्राम पंचायत निमेडा निगरानीकार के स्वामित्व की भूमि है। उक्त भूमि पर प्राथमिकशाला जयभवानीपुरा का भवन बना हुआ एवं बाउन्ड्रीवाल होकर परिसर बना हुआ है, भूमि का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ स्कूल के उपयोग में किया जा रहा है, भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का मकान, भूखण्ड, आदि बना हुआ नहीं है। गैर निगरानीकार जो ग्राम पंचायत निमेडा के अधीन ग्राम जयभवानीपुरा का निवासी नहीं है जिसका उक्त भूमि पर पूर्व या वर्तमान में कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। गैर निगरानीकार ने तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर कपटपूर्वक

तथ्यों को छिपाकर अपना मिथ्या कब्जा बता कर तत्कालीन सरपंच से दिनांक 19.03.1997 को अपने पक्ष में विक्रय विलेख पंचायत राज अधिनियम 1961 के नियम 266 के तहत विक्रय विलेख जारी करवा लिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया गया है। गैर निगरानीकार ने एक आवेदन जिसमें दिनांक अंकित नहीं है को मिथ्या व तथ्यों का सक्रिया छिपाव कर यह अंकित कर प्रस्तुत किया गया कि गैर निगरानीकार की ग्राम जयभवानीपुरा में आबादी भूमि है जिसमें प्रार्थी निवास करता है, इस भूमि का पट्टा देने की कृपा करें। उक्त आवेदन के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया। गैर निगरानीकार ग्राम पंचायत निमेडा में निवास नहीं करता था एव ना ही गैर निगरानीकार का कोई कब्जा था। गैर निगरानीकार ने जनउपयोग की भूमि का हडपने की दुर्भावना से आवेदन में मिथ्या तथ्य अंकित कर पट्टा प्राप्त कर लिया जो इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिये जाने की कार्यवाही में जो आपत्ति नोटिस जारी किया उसमें दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है। वार्डपंचगण ने बिना मौका देखे ही गैर निगरानीकार को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बिना कब्जा ही पट्टा जारी कर दिया गया। आक्षेप नोटिस में चारो सीमाओ का अंकन नहीं है तथा आक्षेप नोटिस में दक्षिण की ओर शंकर पुत्र भूरा की कृषि भूमि अंकित है, जबकि पत्रावली में संलग्न फैसला फार्म के साथ संलग्न नक्शें में दक्षिण की और ब्राहम्णों की आबादी भूमि अंकित की हुई है, जो दोनो एक दूसरे से भिन्न है। अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर द्वारा पत्रांक 2282 दिनांक 26.05.2022 के द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति झोटवाडा को सक्षम न्यायालय में निगरानी दर्ज कर आक्षेपित पट्टे को निरस्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी पेश की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा भी तीन पंचो की कमेटी गठित की गयी जिन्होंनें मौके पर भूखण्ड स्थित नहीं होने बाबत अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.07.2022 को प्रस्तुत की है। निगरानीधीन पट्टे की भूमि सार्वजनिक स्कूल परिसर की सम्पत्ति है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत निमेडा, पं.स. झोटवाडा के मिसल संख्या 44/96 दायर दिनांक 15.11.1996 आदेश दिनांक 19.03.1997 द्वारा गैर निगरानीकार के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 20/96-97 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों अनुसार निगरानीकार द्वारा निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है। गैर निगरानीकार सम्पत्ति की सार संभाल भी समय-समय पर करता आ रहा है। तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों की पालना कर पट्टा जारी किया है। निगरानीकार को वर्ष 1997 में पट्टा जारी किया गया है एवं लगभग 26 वर्ष बाद निगरानीकार ने निगरानी पेश की है जो इस बात का द्योतक है कि निगरानीकार ने तत्कालीन ग्राम पंचायत सरपंच से राजनीतिक द्वेष भाव व आपसी रंजिश के चलते

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निगरानी पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। निगरानीकार ने आक्षेप नोटिस में चारो सीमाओं के अंकन बाबत आपत्ति की है एवं मात्र इसी आधार पर पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत कोरम ने प्रस्ताव संख्या 01 गलत, मिथ्या व बेबुनियाद आधारो पर पारित किया है। ग्राम पंचायत द्वारा 3 पंचो की कमेटी गठित कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 12.07.2022 को प्रस्तुत करने की बात कही गयी है उक्त रिपोर्ट उचित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार के हक में दिनांक 19.03.1997 को नियमानुसार प्रतिफल राशि प्राप्त कर पट्टा जारी किया है। निगरानीकार ने बिना जांच पडताल किये गैर निगरानीकार के हक अधिकार की पट्टशुदा भूमि पर सरकारी खर्च से बाउण्ड्रीवाल बनवा दी जिसके बारे में गैर निगरानीकार को ज्ञात होने पर गैर निगरानीकार ने ग्राम पंचायत से वास्तविक कब्जा उपलब्ध करवाने की बात कही है। निगरानीकार ने सारहीन तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है जो कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की ज़ावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टा पत्रावली आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत निमेडा, पंचायत समिति झोटवाडा से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि ग्राम पंचायत निमेडा द्वारा मिसल संख्या 44/96–97 जिसके तहत आदेश दिनांक 19.03.1997 द्वारा गैर निगरानीकार के हक में निगरानीधीन पट्टा संख्या 20 जारी किया गया है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार निगरानी मियाद बाहर पेश की गयी है जबकि पंचायत राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में मियाद के बिन्दु पर कोई अवधारणा निहित नहीं की गयी है। प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार के हक में दिनांक 19.03.1997 को पंचायत राज अधिनियम 1961 की धारा 266 पट्टा जारी किया गया है जबकि तत्समय पंचायत राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 लागू हो चुके थे इसलिए ग्राम पंचायत को पट्टा देने की कार्यवाही पंचायत राज अधिनियम 1994 में निहित नियमों की पालना की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि गैर निगरानीकार के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत ने वार्डपंचगण को मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित किया। जिसके कम में वार्डपंचगण की निरीक्षण रिपोर्ट में आबादी भूमि के विक्रय की रिपोर्ट की है किन्तु विक्रय संबंधी पंचायत राज नियमों की पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जाना प्रतीत होता है। निगरानीधीन पट्टे पर सीमाएं भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। प्रकरण में निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर वर्तमान में सार्वजनिक प्राथमिक शाला होना एवं निगरानीकार का पट्टे की भूमि का किसी प्रकार कब्जा नहीं होना जाहिर किया है। जिस संबंध में गैर निगरानीकार द्वारा ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर गैर निगरानीकार का कब्जा रहा हो तथा गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार भी गैर निगरानीकार का निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर कब्जा नहीं है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध पंचगण की वर्तमान मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 12.07.2022 अनुसार निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर वर्तमान में प्राथमिक शाला की चारदीवारी बनी हुयी है एवं गैर निगरानीकार का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। निगरानीधीन प्रकरण में निगरानीकार द्वारा अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर द्वारा पत्रांक 2282 दिनांक 26.05.2022 एवं विकास अधिकारी पं.स. झोटवाडा के आदेश कमांक 1265 दिनांक 14.07.2022 की पालना में निगरानी पेश किये जाने एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम 1994 व पंचायती राज नियमो 1996 की अवहेलना किये जाने के कारण निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत निमेडा, पंचायत समिति झोटवाडा द्वारा मिसल दायर संख्या 44/96–97 दायर दिनांक 15.11.1996 एवं फैसला/ आदेश दिनांक 19.03.1997 से गैर निगरानीकार खेमसिंह पुत्र स्व. श्री मोहन सिंह जाति जाट निवासी सी/ओ/1/1 हीराबाग फ्लैटस, सवाई रामसिंह रोड, जयपुर के हक में जारी पट्टा 20/96–97 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली लौटायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर